

अधिसूचना :-

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः मू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है -

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प0ड0न0	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
मण्डला	बिछिया	कराजिया माल प.ड.नं. 28	0.25	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास हालोन संभाग, बिछिया, मण्डला	हालोन सिंचाई परियोजना बांध निर्माण हेतु

1. अर्जित की जो वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्द किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in, व म0प्र0 शासन विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.inc.in, पर भी देखी जा सकती है।
2. भूमि के नक्शे(प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बिछिया या कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास हालोन संभाग, बिछिया, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

5

(प्रीति मैथिल नायक)
कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव
म0प्र0 शासन राजस्व विभाग
मण्डला दिनांक 2.06.201)

पू.क्र./मू-अर्जन/2016-17/ 34
प्रतिलिपि :-

1. नियंत्रक शासकीय मृदाणालय अरेरा हिल्स भोपाल को म0प्र0 राजपत्र भाग-1 के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. संचालक सूचना तथा प्रकाशन विभाग भोपाल को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरान्त एक-एक प्रति भेजने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना अधिकारी मण्डला(कलेक्टर एन0आई0सी0 कक्ष) को शासकीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. नर्मदा विकास हालोन संभाग, बिछिया, मण्डला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी(रा0) बिछिया को एक प्रति तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम के सहजगोचर स्थान पर चरवा कराने हेतु प्रेषित।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(प्रीति मैथिल नायक)
कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव
म0प्र0 शासन राजस्व विभाग

अधिसूचना :-

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः मू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची					
जिला	तहसील	ग्राम एवं प0ह0न0	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
मण्डला	बिछिया	करजिया माल प.ह.नं. 28	2.31	कार्यपालन यंत्रो नर्मदा विकास हालोन संभाग, बिछिया, मण्डला	हालोन सिंचाई परियोजना बाध निर्माण हेतु

- 1 अर्जित की जो वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व म0प्र0 शासन विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.inc.in, पर भी देखी जा सकती है।
- 2 भूमि के नक्शे(प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बिछिया या कार्यपालन यंत्रो नर्मदा विकास हालोन संभाग, बिछिया, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(प्रति मैथिल नायक)

कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव
म0प्र0 शासन राजस्व विभाग
मण्डला दिनांक 02.06.2017

पृ.क्र./मू-अर्जन/2016-17/35

प्रतिलिपि :-

- 1 नियंत्रक शासकीय मूद्राणालय अरेरा हिल्स भोपाल को म0प्र0 राजपत्र भाग-1, के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 2 संचालक सूचना तथा प्रकाशन विभाग भोपाल को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरान्त एक-एक प्रति भेजने का कष्ट करें।
- 3 जिला सूचना अधिकारी मण्डला(कलेक्टर एन0आई0सी0 कक्ष) को शासकीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4 नर्मदा विकास हालोन संभाग, बिछिया, मण्डला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5 अनुविभागीय अधिकारी(रा०) बिछिया को एक प्रति तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम के सहजगोचर स्थान पर चरपा कराने हेतु प्रेषित।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(प्रति मैथिल नायक)

कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव
म0प्र0 शासन राजस्व विभाग

- अधिसूचना :-

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः मू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है -

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प0ह0न0	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (इं0 में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
मण्डला	बिछिया	बिरसा प.ह.नं. 28	0.61	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास हालोन संभाग, बिछिया, मण्डला	हालोन सिंचाई परियोजना बांध निर्माण हेतु

- 1 अर्जित की जो वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व म0प्र0 शासन विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.inc.in, पर भी देखी जा सकती है।
- 2 भूमि के नक्शे(प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बिछिया या कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास हालोन संभाग, बिछिया, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(प्रीति मैथिल नायक)
कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव
म0प्र0 शासन राजस्व विभाग
मण्डला दिनांक 02.06.2017

पू.क्र./मू-अर्जन/2016-17/ 36
प्रतिलिपि :-

- 1 नियंत्रक शासकीय नृदाणालय अरेरा हिल्स भोपाल को म0प्र0 राजपत्र भाग-1, के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 2 संचालक सूचना तथा प्रकाशन विभाग भोपाल को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरान्त एक-एक प्रति भेजने का कष्ट करें।
- 3 जिला सूचना अधिकारी मण्डला(कलेक्टर एन0आई0सी0 कक्ष) को शासकीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4 नर्मदा विकास हालोन संभाग, बिछिया, मण्डला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5 अनुविभागीय अधिकारी(रा0) बिछिया को एक प्रति तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम के सहजगोचर स्थान पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(प्रीति मैथिल नायक)
कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव
म0प्र0 शासन राजस्व विभाग

-: अधिसूचना :-

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः मू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प0ह0न0	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
मण्डला	बिछिया	बिरसा प.ह.नं. 28	6.36	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास हालोन संभाग, बिछिया, मण्डला	हालोन सिंचाई परियोजना बांध निर्माण हेतु

1. अर्जित की जो वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व म0प्र0 शासन विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.inc.in, पर भी देखी जा सकती है।
2. भूमि के नक्शे(प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बिछिया या कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास हालोन संभाग, बिछिया, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(प्रीति मैथिल न्यायक)

कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव
म0प्र0 शासन राजस्व विभाग
मण्डला दिनांक

पृ.क्र./मू-अर्जन/2016-17/
प्रतिलिपि :-

1. नियंत्रक शासकीय मुद्राणालय अरेरा हिल्स भोपाल को म0प्र0 राजपत्र भाग-1, के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. संचालक सूचना तथा प्रकाशन विभाग भोपाल को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरान्त एक-एक प्रति भेजने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना अधिकारी मण्डला(कलेक्टर एन0आई0सी0 कक्ष) को शासकीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. नर्मदा विकास हालोन संभाग, बिछिया, मण्डला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी(रा0) बिछिया को एक प्रति तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम के सहजगोचर स्थान पर चरमा कराने हेतु प्रेषित।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(प्रीति मैथिल न्यायक)

कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव
म0प्र0 शासन राजस्व विभाग